

समस्त असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी

सचल दल / जॉच चौकी, वाणिज्य कर विभाग, 30प्र०।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 30प्र०-9 जगत नारायण रोड़, लखनऊ द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई ने यूनाइटेड नेशन्स आफिस फार प्रोजेक्ट सर्विसेज को जिंक सल्फेट टैब्लेट्स की सप्लाई प्रदेश के 17 जिलों में यथा कन्नौज, झाँसी, खीरी, मुरादाबाद, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, बहराइच, मिर्जापुर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ एवं बोंदा में सर्वश्री हिन्दुस्तान लेबोटेरीज ए/ 303विक्टोरिया पार्क चन्द्रवर्कर लेन बोरीवली(वेस्ट) मुम्बई द्वारा की जानी है।

यह भी कहा गया है कि इसका उपयोग केवल सरकारी चिकित्सालयों में होगा और उन्हें मुफ्त वितरित किया जायेगा तथा इसकी बिक्री नहीं की जायेगी। यह भी कहा गया है कि इसकी प्रत्येक पैकिंग पर GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH SUPPLY - NOT FOR SALE स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। इसका परिवहन दिसम्बर-08 के प्रथम अथवा दूसरे सप्ताह के बीच होना संभावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 30प्र० द्वारा यह भी कहा गया है कि यह विटामिन-ए सोल्यूशन बच्चों एवं औरतों में मुफ्त वितरण के लिए सरकारी विभाग में आ रही है। इसके परिवहन के लिए फार्म-39 की आवश्यकता से मुक्त करते हुए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को इस आशय के निर्देश निर्गत कर दिये जाये कि इसके परिवहन में कोई बाधा न आये।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, के प्रत्यावेदन के प्रकाश में यह निर्देशित किया जाता है कि यदि जिंक सल्फेट टैब्लेट्स की सप्लाई उक्त कम्पनी द्वारा संदर्भित जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को की जा रही हो तो उन्हें जॉचोपरान्त जाने दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि विभाग की तरफ से उनके परिवहन में अनावश्यक रूप से कोई विलम्ब अथवा व्यवधान उत्पन्न न हो।


(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र०।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र०।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर, 30प्र०।
3. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर, 30प्र०।
4. जनरल मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 9 जगत नारायण रोड़, लखनऊ।
5. चेक पोस्ट अनुभाग को पांच प्रतियाँ अतिरिक्त।


(वी०पी०श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिशनर(चे०पो०)वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।